कार्यालय, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, म.प्र.
विन्ध्याचल भवन, भोपाल – 462004

(ई–मेलः–rcs.audit@mp.gov.inदूरभाष नम्बर – 0755–2551098)

क्रमांक/अंके./4/2021/ 962 भोपाल, दिनांकः 12/10/2021

प्रति,

उप/सहायक आयुक्त
सहकारिता
समस्त म.प्र.

विषयः– **जिला स्तर की संस्थाओं के लेखा समिति की बैठकों के आयोजन के संबंध में।**

संदर्भः– कार्यालयीन पत्रांक/अंके./1/97/3,4 एवं 5 दिनांक 04.01.1997, 630 दिनांक 30.10.2021, 718 दिनांक 17.12.2012 एवं पत्रांक 843 दिनांक 07.09.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित संस्थाओं की अंकेक्षण, वैधानिक जांच एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित आपत्तियों के निराकरण हेतु लेखा समिति की बैठकों के आयोजन तथा गंभीर आपत्तियों पर अविलंब कार्रवाई किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। खेदजनक है कि लेखा समिति की बैठकों के न तो नियमित आयोजन किये जा रहे हैं और न ही अंकेक्षण/निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित आर्थिक अनियमितता एवं गबन संबंधी आपत्तियों पर त्वरित कार्रवाईयां सुनिश्चित की जा रहीं हैं। ऐसा नहीं किये जाने के परिणामस्वरूप अनियमितताओं की स्थितियां निरंतर विद्यमान होने से अंकेक्षण का मूल उद्धेश्य पराजित होता है।

राज्य शासन द्वारा इस स्थिति को गंभीरता से लिया गया है। अतः यह अपेक्षित है कि **विगत 3 वर्षों** में अपने क्षेत्राधिकार की संस्थाओं के अंकेक्षण, वैधानिक जांच एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा निर्गमन पत्रों में उल्लेखित आपत्तियों तथा निर्देशों के अनुपालन में विशेषकर – आर्थिक अनियमितताओं एवं गबन–धोखाधड़ी के प्रकरणों में कार्यालय द्वारा की गई कार्रवाईयों की संस्थावार जानकारी दिनांक 20.10.2021 तक संभागीय संयुक्त आयुक्त को प्रस्तुत की जावे।

संभागीय संयुक्त आयुक्त, जिलों से प्राप्त उक्त प्रतिवेदन पर नियमानुसार एवं समय पर कार्रवाई नहीं होने की स्थितियों पर समीक्षा कर यथाआवश्यक जिलाधिकारियों को निर्देशित करेंगे तथा गंभीर लापरवाही तथा उपेक्षापूर्ण कार्य होने पर संबंधित उत्तरदायी जिलाधिकारी पर कार्रवाई हेतु प्रस्ताव भी 30 अक्टूबर तक प्रेषित करेंगे।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे तथा अपेक्षित जानकारी अनिवार्यतः निर्दिष्ट समयावधि में प्रेषित की जावे।

(नरेश पाल कुमार)
आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, म.प्र.

LETTER-02 update

क्रमांक/अंके./4/2021/ 962 **भोपाल, दिनांक** 12/10/2021

प्रतिलिपि:–

संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थायें समस्त संभाग म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक
सहकारी संस्थायें, म.प्र.

LETTER-02 update